

भारतीय जाति व्यवस्था और वंचित तथा कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा में चुनौतियाँ

पी. एस. कृष्णन

I. जनसांख्यिकीय वितरण का लाभ और उसकी अनिवार्य पूर्व शर्तें – जनसंख्या के विशिष्ट वितरण से होने वाले लाभ की अवधारणा जानी–मानी है। लेकिन, इससे उपलब्ध होने वाले अवसर का लाभ उठाने के लिए और जनसांख्यिकीय लाभ को जनसांख्यिकीय दुःस्वप्न बनने से रोकने के लिए, युवा आयु–वर्ग की आबादी को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशलों से संपन्न बनाना जरूरी है। इसके लिए न केवल शैक्षिक, स्वास्थ्य–सम्बन्धी और कौशल–विकास की सुविधाएँ आवश्यक हैं, बल्कि सभी सामाजिक वर्गों को इन सुविधाओं का लाभ उठा सकने के काबिल बनाना भी जरूरी है। इसके लिए उन बाधाओं को दूर किया जाना पड़ेगा जो इन सुविधाओं को वंचित वर्गों तक पहुँचने से रोकती हैं।

II. "अस्पृश्यता वाली" भारतीय जाति व्यवस्था –जनसांख्यिकीय वितरण का लाभ उठाने में बड़ी बाधा – इस प्रक्रिया की कठिन बाधाओं में से एक भारत का पारम्परिक सामाजिक–आर्थिक ढाँचा और व्यवस्था, अर्थात भारतीय जाति व्यवस्था (इण्डियन कास्ट सिस्टम – आई.सी.एस.) या "अस्पृश्यता वाली" जाति व्यवस्था है। इसने आबादी के एक बड़े हिस्से के बच्चों और युवाओं को शिक्षा सहित हर क्षेत्र की सुविधाओं और अवसरों तक पहुँच पाने से रोका हुआ है। इस समस्या को स्पष्ट रूप से समझने और इसके समाधान के कारगर उपाय खोजने व निर्मित करने के लिए हमें भारतीय जाति व्यवस्था की प्रकृति को ऐतिहासिक रूप से वंचित और कमजोर वर्गों के दृष्टिकोण से समझना जरूरी है।

III. भारतीय जाति व्यवस्था तथा इसका कार्य एवं प्रभाव – भारतीय जाति व्यवस्था केवल कुछ मनमाने रीति–रिवाजों और प्रचलनों का मामला नहीं है। यह श्रेष्ठ–निकृष्ट का वर्गीकरण, अवमूल्यन, वंचितीकरण तथा शोषण की ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यवसायों का भी ऊँचा–नीचा क्रम है। इसकी संरचना उन लोगों के स्व–हित की खातिर की गई है जो विशेष सुविधा तथा सम्मान के पदों पर होते हैं, ताकि वे लाभों पर एकाधिकार कर सकें और अपने से निचले स्तर के लोगों के श्रम और सेवाओं पर अधिकार जमा सकें। यह सर्वत्र व्याप्त व्यवस्था भारतीय सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक स्थिति की आधारभूत केन्द्रीय और निर्णायक जीवन–प्रक्रिया है। सदियों पहले से लेकर आज तक खेतिहर मजदूरी और अन्य प्रकार का श्रम प्रदान करने वाले लोगों को उनकी ही जातियों के कटघरों में कैद रखना, और उनके उसमें से निकल पाने की या ऊपर उठ पाने की कोई गुँजाइश न छोड़ना और आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक प्रगति से उनको या तो वंचित रखना, या ऐसी प्रगति के अवसरों को न्यूनतम बना देना, तथा लाभकारी पदों और अवसरों पर सुविधासंपन्न जातियों/वर्गों का एकाधिकार बनाए रखना भारतीय जाति व्यवस्था का प्रमुख कार्य और प्रभाव रहा है।

IV. भारतीय जाति व्यवस्था की शिकार–अनुसूचित जातियाँ (एससी), अनुसूचित जनजातियां (एसटी) तथा सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ी जातियाँ (बीसी)– इस व्यवस्था की सबसे बुरी शिकार अनुसूचित जातियाँ हुई हैं जिनका उद्भव भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में खेतिहर मजदूर जातियों, तथा अन्य प्रकार का श्रम और "हाथों से गन्दगी साफ करने" जैसी "नीच मानी जाने वाली ऐसी सेवाएँ" प्रदान करने वाली जातियों के रूप में हुआ है, जिन्हें करना कोई भी मजबूर किए गए बिना स्वतः नहीं चुनेगा। "अस्पृश्यता" भारतीय जाति व्यवस्था का वह विशेष हथियार है जो अनुसूचित जातियों को उनके आसपास के समाज से अलग बनाए रखने, उनके मनोबल को हतोत्साहित करने और उन्हें पूरी तरह से शैक्षिक तथा अन्य अवसरों से वंचित रखने के लिए बना है।

वंचित किए जाने के पैमाने में अनुसूचित जातियों जैसा ही हाल अनुसूचित जनजातियों का है जो दूरदराज के इलाकों तक सीमित रखी जाती हैं। इसी प्रकार वंचित रखी गई, हालाँकि जो "अस्पृश्यता" से पीड़ित नहीं हैं,

सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियाँ हैं, जिन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के नाम से भी जाना जाता है सामाजिक पिछड़ेपन से बाहर निकलने में कामयाब हो गई हैं। इनमें शामिल हैं: कुशल कारीगरों और दस्तकारी का काम करने वाले (लुहार, बढ़ई, कुम्हार, पत्थर काटने वाले, आदि), सेवाएँ प्रदान करने वाले (बाल काटने वाले आदि), गैर–खेतिहर प्राथमिक उत्पादक (जैसे कि मछुआरे) और खेतिहर प्राथमिक उत्पाद प्रदान करने वाले (किसान) – हालाँकि किसानों की कुछ जातियाँ जिन्हें सिंचाई और बाजार तक पहुँच, आधुनिक प्रौद्योगिकी आदि के लाभ मिले।

लोगों की उपरोक्त तीनों श्रेणियाँ (एससी, एसटी तथा बीसी) मिलकर भारत की आबादी का बहुत बड़ा भाग (लगभग 75%) बनाती हैं और भारत की लगभग पूरी कामगार शक्ति भी प्रदान करती हैं। अधिकांश मुस्लिम या ईसाई अल्पसंख्यक लोग कुछ खास पिछड़ी जातियों के समुदायों के होते हैं जिनकी उत्पत्ति हिन्दू अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों से धर्म परिवर्तन करके हुई।

V. सदियों पुरानी भारतीय जाति व्यवस्था का औपनिवेशिक काल से आज तक जारी रहने का दौर–जिसके अपरिहार्य परिणाम की तरह आरक्षण तथा सामाजिक न्याय के अन्य उपाय निकलकर आए – दो शताब्दियों के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने और आजादी के बाद के बीते दशकों में स्वदेशी शासन ने परिवर्तनों की शुरुआत की है लेकिन उन्होंने भारत के सामाजिक–आर्थिक ढाँचे को मूल रूप से नहीं बदला है।

जाति–पारम्परिक व्यवसाय–सामाजिक दर्जा, इस गठजोड़ की निरन्तरता आज तक जारी है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने मण्डल मुकदमे में 16.11.1992 को दिए गए अपने फैसले की निम्नलिखित टिप्पणी में ध्यान दिलाया है:... "एक जाति और कुछ नहीं बल्कि... व्यवसायिक समूह है.... यदि व्यक्ति उस व्यवसाय का अनुसरण करना भी छोड़ देता है, तब भी वह उस व्यवसाय का सदस्य बना रहता है और उसी में जारी रहता है....उस समूह का सामाजिक दर्जा और स्थान उसके द्वारा पालन किए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। जितना नीचा व्यवसाय होता है उतना ही नीचा सामाजिक स्थान होता है। नीचे दर्जे के व्यवसाय का परिणाम न केवल नीची सामाजिक स्थिति होती है बल्कि गरीबी भी होती है; वह गरीबी पैदा करता है.... हमारे सारे खण्डनों और वितृष्णा तथा इस सामाजिक प्रचलन को समाप्त करने के सभी प्रयासों के बाबजूद, यह नग्न वास्तविकता है।"

भारतीय जाति व्यवस्था के काम करते रहने का अर्थ है "निचली" जातियों (एससी, एसटी तथा बीसी) को शैक्षिक तथा उन्नति करने के अवसरों से वंचित रखना। प्रागैतिहासिक काल में एकलव्य की गाथा इसी का प्रतीकात्मक चित्रण करती है और आधुनिक काल में, इसी का प्रदर्शन 1853 में "ऊँची" जातियों के पालकों ने एक सरकारी स्कूल का बहिष्कार करके किया था जब "अछूत" (महार) जाति के एक लड़के को बाम्बे प्रेसिडेंसी के धारवाड़ (जो अब कर्नाटक में है) के उस स्कूल में प्रवेश दिया गया था।

अँग्रेजों ने कानून की नजर में सबके बराबर होने की अवधारणा का सूत्रपात किया, पर उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने के लिए खास कुछ नहीं किया। मैंने एक अन्य स्थान पर वर्णन किया है कि किस प्रकार प्रारम्भिक अँग्रेज शिक्षाशास्त्री "तिरस्कृत जातियों" (जिनके बच्चों को उन्होंने सबसे अच्छे विद्यार्थी पाया जो औपनिवेशिक प्रशासन में उच्च पदों तक पहुँचने के काबिल थे) की शिक्षा को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने से परहेज करते रहे, क्योंकि उन्हें "ऊँची" जातियों की तीखी प्रतिक्रिया का डर था। मैंने इण्डियन एजुकेशन (हंटर) कमीशन (1882) के द्वारा भारत के विभिन्न प्रान्तों में स्कूल के रास्ते में आते–जाते "अछूतों" के बच्चों के खिलाफ हिंसा की वारदातों, शारीरिक रूप से रोके जाने और उन्हें घात लगाकर तंग करने के उदाहरण दिए जाने का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार, आधुनिक शिक्षा और उसके फलस्वरूप मिलने वाली नौकरियों पर, पिछली सदियों की ही तरह, इस दौर में भी केवल थोड़ी सी जातियों, जिनका विभिन्न क्षेत्रों की आबादी में हिस्सा 3 से 20% तक ही था, का लगभग एकाधिकार बना रहा, और इन अवसरों पर कब्जा करने के हथियार तरह उन्होंने उच्च जातियों की एकता का उपयोग किया, और नीची जातियों के साथ "अस्पृश्यता" को जोड़कर उसका उपयोग इन अन्य लोगों को बाहर रखने के हथियार की तरह किया।

यही वे परिस्थितियाँ थीं जिनमें उन सभी जातियों या समुदायों के लोगों ने – जिनका शासन करने या प्रशासन में कोई हिस्सा नहीं था, या नाममात्र को ही हिस्सा था, और जिनकी शिक्षा तक, विशेष रूप से अँग्रेजी स्कूलों की

शिक्षा तक कोई पहुँच नहीं थी, या बहुत सीमित पहुँच थी – आरक्षण की माँग करना आरम्भ किया, और आरक्षण आजादी मिलने के पहले से ही नीति का अंग बन गया। चूँकि वंचित रखने, या अवसरों से बाहर रखने, का हथियार जाति थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से स्वतः ही आरक्षित अवसरों तक पहुँच के लिए लोगों को संगठित करने का हथियार भी बन गई।

VI. भारत का संविधान और उसकी समतावादी संरचना – भारत का संविधान 1950 में समतावादी चेतना और स्थाई राष्ट्रीय एकीकरण के लिए मजबूत आधार रखने के उद्देश्य से जन्मा था। उसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए दूरगामी प्रावधान शामिल किए गए थे। आरक्षण संविधान द्वारा सोचे गए उन परिपूर्ण उपायों का केवल एक हिस्सा था जिनका लक्ष्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के प्रति सदियों से किए जा रहे अन्याय के सतत प्रभावों को निरस्त करना, और उनको शैक्षिक तथा आर्थिक अवसरों को पूरी तरह उपलब्ध करवाना था, ताकि उनको शिक्षा सहित सभी मानदण्डों में तथा सभी स्तरों पर सामाजिक रूप से अग्रणी जातियों, या गैर–एससी, गैर–एसटी, गैर–बीसी जातियों के समकक्ष स्तर को हासिल करने योग्य बनाया जा सके।

VII. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों की प्रगति और बराबरी के लिए सामाजिक न्याय योजनाएँ–उनका प्रभाव तथा सीमाएँ – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की, तथा काफी बाद में पिछड़ी जातियों की भी, प्रगति और सामाजिक बराबरी सुनिश्चित करने के लिए अलग–अलग समय पर राष्ट्रीय स्तर की महत्त्वपूर्ण योजनाएँ प्रारम्भ की गईं। जिनकी शुरुआत, उदाहरण के लिए, 1943 में वाइसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में डा. अम्बेडकर द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक–उपरान्त छात्रवृत्ति योजना को आरम्भ करके की गई। हालाँकि इन योजनाओं ने कुछ प्रगति करवाने में मदद की है, परन्तु उनका पूरा प्रभाव उपलब्ध नहीं हो सका है। वे क्रान्तिकारी आर्थिक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल रही हैं। जैसे कि सभी ग्रामीण अनुसूचित जातियों के परिवारों तथा अन्य भूमिहीन खेतिहर परिवारों को व्यवहारिक रूप से पर्याप्त खेती की भूमि दिलवाना; अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सभी खेती की जमीनों के लिए सिंचाई का प्रावधान (सत्ताधारी दलों और सरकारों द्वारा बेहिचक इन दोनों को पूरा करने का पवित्र वादा किया जाता है जिसे बाद में बिना किसी विचार के भुला दिया जाता है); और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए परिमाणात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से स्कूली शिक्षा तथा पूर्व–स्कूल शिक्षा को सर्वत्र उपलब्ध करवाना तथा उसे सशक्त बनाया जाना आदि।

VIII. सामाजिक रूप से अग्रणी जातियों, या गैर–एससी, गैर–एसटी, गैर–बीसी जातियों की तुलना में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों की अभी भी जारी भारी शैक्षिक असमानता का वर्तमान परिदृश्य – इसके परिणामस्वरूप, हम शिक्षा के हर स्तर पर अभी भी जारी भारी शैक्षिक असमानता की खाई को मौजूद पाते हैं, जिसके एक छोर पर वंचित अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ हैं तो दूसरे ऊँचे छोर पर

भारत (66वाँ चक्र 2009–10)				
	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जनजातियाँ	पिछड़ी जातियाँ	सामाजिक रूप से अग्रणी जातियाँ, या गैर–एससी, गैर–एसटी, गैर–बीसी जातियाँ
साक्षर नहीं	41.5	44.6	33.2	20.1
माध्यमिक स्तर	9.8	9.2	13.2	16.6
स्नातक तथा उससे ऊपर	3.4	2.6	5.4	13.6
दिल्ली की महिलाएँ (61वाँ चक्र 2004–05) (यह महानगरीय भारतीय स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है क्योंकि दिल्ली आत्यंतिक रूप से महानगरीय है)				
स्नातक तथा उससे ऊपर और	1.3	3.4	दिल्ली के लिए अनुसूचित जनजातियों की कोई सूची नहीं	26.2

सामाजिक रूप से अग्रणी जातियाँ, या गैर–एससी, गैर–एसटी, गैर–बीसी जातियाँ हैं, और जिनके बीच में पिछड़ी जातियाँ हैं, जो आमतौर पर सामाजिक रूप से अग्रणी या गैर–एससी, गैर–एसटी, गैर–बीसी जातियों के बजाय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिक निकट हैं। यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए एन.एस.एस.ओ. के द्वारा इकट्ठे किए गए निम्न आँकड़ों से स्पष्ट होता है:

IX. भारत की सर्वोत्कृष्ट आर्थिक वृद्धि और चौतरफा मानव संसाधन विकास के लिए जनसांख्यिकीय वितरण लाभ को समता के लाभ से पुष्ट करने की परम आवश्यकता – यदि इस गैर–बराबरी को मिटाने के लिए कदम नहीं उठाए जाते, तो हम न तो समानता के संवैधानिक दायित्व को पूरा कर सकते हैं, और न ही हम जनसांख्यकीय वितरण का लाभ उठा सकते हैं, जिसके बिना भारत की सर्वोत्कृष्ट आर्थिक वृद्धि नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, हमें "समानता के लाभ" की धारणा को शामिल करना होगा, जो राष्ट्रीय हित के लिए शिक्षा के सभी स्तरों में तथा अन्य सभी आर्थिक और सामाजिक मापदण्डों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों को सामाजिक रूप से अग्रणी जातियों के समकक्ष बनने के काबिल बनाकर हासिल किया जा सकता है।

X. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम – अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक समानता तथा शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर सामाजिक रूप से अग्रणी जातियों, या गैर–एससी, गैर–एसटी, गैर–बीसी जातियों से उनकी बराबरी के अधिकार को पूरा करने के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों (तथा उनकी आर्थिक प्रगति, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डों की बराबरी, जीने तथा काम करने की स्थितियों के मानवोचित बनाया जाने के लिए आवश्यक उपायों) को विभिन्न दस्तावेजों3,4,5,6,7 में अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। इनमें से कईयों को मैंने तैयार किया है या तैयार करने की प्रक्रिया में नजदीक से शामिल रहा हूँ। इनमें से कई इन बीते हुए वर्षों में प्रस्तुत किए गए अन्य प्रस्तावों तथा संस्तुतियों के साथ सरकारी फाइलों में पड़े हैं। इन पर ध्यान नहीं दिया गया है या फिर नाममात्र को ही ध्यान दिया गया है तथा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण कदमों की नीचे संक्षिप्त सूची दी जा रही है**:**

(1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रत्येक बस्ती में, और पृथक/स्पष्ट रूप से अलग पिछड़ी जाति की बस्ती (उदाहरण के लिए मछुआरों का टोला) में एक आँगनवाड़ी केन्द्र होना। हर केन्द्र में योग्यता प्राप्त तथा माण्टेसरी और ऐसी अन्य पद्धतियों में प्रशिक्षित शिक्षिका होना।

(2) अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के लिए वैसी ही खुली पूर्व–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जैसी अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए 1.7.2012 से उपलब्ध है।

(3) हर ब्लाक में, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, अनुसूचित जातियों की लड़कियों और लड़कों के लिए अलग–अलग, तथा इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों और लड़कों के भी लिए भी अलग–अलग उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय स्कूल होने चाहिए। इन आवासीय स्कूलों में 75% स्थान इन जातियों (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) के बच्चों के लिए आरक्षित होना चाहिए। शेष 25% स्थान अन्य समूहों के बच्चों के लिए होना चाहिए, जिनमें सामाजिक रूप से अग्रणी जातियों, या गैर–एससी, गैर–एसटी, गैर–बीसी जातियों के गरीब परिवारों के बच्चे शामिल हों। यह 75%–25% का फार्मूला शैक्षिक रूप से वंचित लोगों पर ध्यान केन्द्रित करने और साथ ही साथ सामाजिक एकीकरण के प्रयोजन को पूरा करने के सर्वोत्तम रूप से कारगर होगा। ऐसे आवासीय स्कूलों की संख्या इतनी होना चाहिए ताकि वे शिक्षा के इस चरण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी बच्चों को समाहित कर सकें। नवोदय विद्यालय या केन्द्रीय विद्यालय जैसे सभी के लिए बने स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए केवल उनकी आबादी के अनुपात में स्थान आरक्षित कर देने से सदियों से विरासत में संचित हुआ असमानता का बोझ दूर नहीं होगा।

इसी प्रकार के उपाय मुस्लिमों तथा ईसाइयों की पिछड़ी जातियों सहित सभी पिछड़ी जातियों के लिए भी किए जाना आवश्यक हैं।

इसका एक सफल प्रतिरूप पिछले लगभग 35 वर्षों से आंध्रप्रदेश में मौजूद है। उस राज्य में अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए 288 आवासीय स्कूल हैं, इतनी ही संख्या में आवासीय स्कूल अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए हैं, तथा लगभग 50 स्कूल पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए हैं। उनके 12वीं कक्षा के परिणाम राज्य के औसत से काफी ऊँचे हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए इस प्रकार के आवासीय स्कूलों की राष्ट्रीय स्तर की एक योजना के लिए, मेरी सलाह पर, 250 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 400 करोड़ रु, कर दिया गया था, पर इस प्रयोजन के लिए इस राशि का उपयोग नहीं किया गया।

(4) संविधान (93वाँ संशोधन) अधिनियम, 2005 का पालन करते हुए निजी क्षेत्र के व्यावसायिक, प्रौद्योगिक तथा उच्च शिक्षा के अन्य तेजी से बढ़ते हुए संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण किया जाना, और उसके साथ ही अन्य सम्बन्धित सहायक उपाय किए जाना तथा सुविधाएँ दी जाना।

(5) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की मैट्रिक–उपरान्त शिक्षा तथा विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं (दोनों ही अम्बेडकर के समय 1943 की हैं) के मार्ग की बाधाओं (जैसे कि पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा को, जो योजना के मकसद को ही निरस्त करते हुए बहुत निचले स्तर पर तय की गई है) को दूर करना; तथा बाद वाली योजना का विस्तार करना।

(6) इसी प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिक पाठ्यक्रमों के लिए मिलने वाले शैक्षिक ऋणों की पात्रता के लिए निर्धारित की गई हास्यास्पद रूप से निचली अधिकतम पारिवारिक आय सीमा (जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 40,000 रु. तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 55,000 रु. है) को दूर करना।

जो लोग उपरोक्त योजनाओं की पूरी विस्तृत जानकारी पाने के इच्छुक हों, मैं उन्हें वह जानकारी तथा अनेक अन्य ऐसी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवा सकता हूँ जिनकी बाधाओं को दूर किया जाना जरूरी है, ताकि शिक्षा के सभी स्तरों पर मौजूद वह खाई पाटी जा सके जिसके एक तरफ अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ी जातियाँ हैं तथा दूसरी ओर सामाजिक रूप से अग्रणी जातियाँ और गैर–एससी, गैर–एसटी, तथा गैर–बीसी जातियाँ हैं।

XI. स्कूलों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं से "अस्पृश्यता" तथा सामाजिक न्याय के उपायों के खिलाफ पूर्वाग्रहों को पूर्णरूप से दूर करना – अनुसूचित जातियों के खिलाफ अभी भी जारी "अस्पृश्यता" का कैंसर तथा सामाजिक न्याय के उपायों के खिलाफ पूर्वाग्रह, शिक्षा में वास्तविक बराबरी को यथार्थ में उपलब्ध करने के मानवीय, राष्ट्रीय तथा संवैधानिक मिशन की राह में बहुत बड़ी बाधा है। स्कूलों में "अस्पृश्यता" के व्यापक चलन को ह्यूमन राइट्स वाच (एच.आर.डब्ल्यू.) की एक रिपोर्ट – जिसका शीर्षक है "दे से वी आर डर्टीः डिनाइंग एन एजुकेशन टु इण्डिया'ज मारजिनलाइज्ड (वे कहते हैं कि हम गंदे हैंः भारत के हाशिए पर जी रहे लोगों को शिक्षा से वंचित रखना)" – में बखूबी दर्शाया गया है। 22.4.2004 को जारी की गई यह रिपोर्ट इस संगठन के द्वारा केन्द्र सरकार की नाक के नीचे स्थित दिल्ली सहित चार राज्यों में किए गए अध्ययन पर आधारित है। रिपोर्ट में वर्णित अध्ययन से प्राप्त हुई जानकारियाँ देश के अधिकांश भागों के लिए भी सही हैं।

"अस्पृश्यता" तथा सामाजिक न्याय के उपायों के खिलाफ पूर्वाग्रहों के पूरी तरह उन्मूलन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाना आवश्यक हैं:

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों का कक्षा की बैठक व्यवस्था में तथा मध्यान्ह भोजन की बैठक व्यवस्था में अन्य बच्चों के साथ घुल–मिल जाना सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़कर सक्रिय कदम उठाए जाना। "अस्पृश्यता" के

खिलाफ एक प्रभावशाली उपाय के रूप में मध्यान्ह भोजन योजना में खाना बनाने वाली या उसे परोसने वाली व्यक्ति अनुसूचित जाति की महिला होना चाहिए। इस कदम के खिलाफ प्रतिरोध को दृढ़तापूर्वक दूर किया जाना चाहिए।

(2) एक ओर भारतीय जाति व्यवस्था की अमानवीय, राष्ट्र–विरोधी तथा संविधान–विरोधी प्रकृति, जाति–आधारित निष्ठाओं, पक्षपातों, पूर्वाग्रहों और शत्रुता की भावनाओं, तथा विशेष रूप से "अस्पृश्यता" पर आधारित भेदभावों पर, और दूसरी ओर संविधान में स्थापित आदर्श के रूप में समानता पर, जोर देते हुए मानवाधिकारों की शिक्षा को हर स्तर पर प्रत्येक शिक्षा संस्था में तथा प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भ किया जाना चाहिए। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन (मानवाधिकारों की शिक्षा का संस्थान) के अनुभव का उपयोग किया जाना चाहिए, और ऐसी संस्थाओं के प्रयासों को सरकार के द्वारा वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता के रूप में सक्रिय भागीदारी करते हुए सशक्त बनाया जाना चाहिए।

(3) शिक्षकों के पूरे समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि वे शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त "अस्पृश्यता"–आधारित भेदभाव के सभी रूपों के खिलाफ एक मजबूत दीवार बन जाएँ।

(4) मानवाधिकारों की शिक्षा को उन ऐतिहासिक परिस्थितियों की जानकारी भी देना चाहिए जो आज तक जारी हैं और जिन्होंने आरक्षण तथा सामाजिक न्याय के अन्य उपायों को अपरिहार्य और अनिवार्य रूप से आवश्यक बना दिया है। इसमें समानता से सम्बन्धित संविधान की संरचना पर, और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की पिछड़ी जातियों सहित सभी पिछड़ी जातियों की उन्नति पर, जिसमें उनकी महिलाओं तथा उनके अन्य कमजोर समूहों की उन्नति पर, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए इन उद्देश्यों की नितान्त आवश्यकता को स्पष्ट किया जाना चाहिए। सभी लोगों के मन में यह बात बिठाई जाना चाहिए कि इन कार्यों में सहयोग देना उनका राष्ट्रीय तथा देशभक्ति का कर्तव्य है।

पूरे परिणाम सुनिश्चित करने के लिए, इन शैक्षिक उपायों को दूसरी ओर से आर्थिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य–तथा–पोषण सम्बन्धी उपायों तथा जीने की स्थितियों से सम्बन्धित उपायों के द्वारा सहारा दिया जाना चाहिए। मैं इन सहायक उपायों की विस्तृत जानकारी उन लोगों को उपलब्ध करवा सकता हूँ जो उसे जानने के इच्छुक हों।

इस कार्य में सार्थक सहयोग देने के लिए स्वैच्छिक संगठन तथा न्यास क्या कर सकते हैं – यह कार्य इतने विराट पैमाने का है कि इसके पूरे आयाम में केवल केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और संस्थाओं द्वारा ही इसकी जिम्मेदारी उठाई जा सकती है। लेकिन स्वैच्छिक संगठन तथा न्यास इसमें ठोस तरीके से सहयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उनमें से प्रत्येक एक या एक से अधिक राज्यों, या एक अथवा एक से अधिक जिलों, या एक अथवा एक से अधिक ब्लाकों के सभी गाँवों या कस्बों की जिम्मेदारी लेकर चुने गए क्षेत्र में आँगनवाडियाँ तथा/या ऊपर खण्ड (X) के (1) और (3) में उल्लिखित प्रकार के आवासीय स्कूल स्थापित कर सकते हैं। जिन लोगों ने विशुद्ध शैक्षिक तथा सामाजिक प्रेरणा के कारण शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित की हैं, वे भी इस तरीके से इस काम में सार्थक योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार की स्वैच्छिक पहल वाले कदमों को, यदि गम्भीरता तथा निष्ठा के साथ उठाया जाए, तो वे उसी प्रकार के प्रतिरूप स्थापित कर सकते हैं जैसे कि आंध्रप्रदेश सरकार ने किए हैं।

लेकिन स्वैच्छिक संगठनों, न्यासों तथा निजी शिक्षा–उद्यमियों को सबसे पहले उन लोगों के प्रति अधिक ध्यान और सहयोग देने की नीति अपनाना होगी जिन्हें भारतीय जाति व्यवस्था के द्वारा सदियों से लेकर आज तक गैर–बराबर बना कर रखा गया है, ताकि वे शिक्षा में सामाजिक रूप से अग्रणी जातियों और गैर–एससी, गैर–एसटी तथा गैर–बीसी जातियों के वाकई में बराबर बन सकें। विभिन्न असमान सामाजिक वर्गों में भेद न करने और सभी की "समान रूप से" सेवा करने का पवित्र लगने वाला रवैया अपनाने का परिणाम भारतीय जाति व्यवस्था द्वारा निर्मित गैर–बराबरी को निरन्तर जारी रखना होगा।

क्योंकि, जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने 1964 में अमेरिका द्वारा सिविल राइट्स एक्ट (नागरिक अधिकार अधिनियम) पारित किए जाने के बाद कहा, "केवल अवसर के द्वार खोल देना काफी नहीं है। हमारे सभी नागरिकों में उन द्वारों से गुजरकर आगे बढ़ने की क्षमता होना भी बेहद जरूरी है।" यहाँ मैंने जिन उपायों की सूची दी है, वे तथा अन्य उपाय, ऐतिहासिक रूप से और वर्तमान में भी भारत के नागरिकों के वंचित और कमजोर वर्गों में अवसर के द्वारों से गुजरकर आगे बढ़ने और अपना जायज अधिकार पाने की इसी क्षमता को निर्मित करने के लिए जरूरी हैं।

कोई भी स्वैच्छिक संगठन, या न्यास या निजी शिक्षा–उद्यमी जो इस मानवीय, राष्ट्रीय, देशभक्ति के, तथा संवैधानिक उपक्रम में शामिल होना चाहता है, उसे मैं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की पिछड़ी जातियों सहित सभी पिछड़ी जातियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सामाजिक न्याय के क्षेत्र में पूरे देश में कार्य करने के मेरे 65 वर्षों के संचित ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता हूँ।

1. P. S. Krishnan (2009), "Empowering Dalits for Empowering India: A Road-Map", New Delhi: Manak Publications.
2. P. S. Krishnan (2006), "Logical Step – The socio-historical and Constitutional Perspective and Imperatives of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Bill, 2006", Frontline, 23 (8), May 5, 2006.
3. The Dalit Manifesto (1996), formulated by P.S. Krishnan on behalf of the National Action Forum for Social Justice, reprinted in P.S.Krishnan (2009), op.cit.
4. Report of Sub-Group-I (Chairman: P.S. Krishnan) on Perspective Planning for Empowerment of Scheduled Castes in the XII Plan, set up by the Planning Commission and Ministry of Social Justice and Empowerment
5. Reports of Task Forces for the Educational Development of SCs and STs (2012), Ministry of HRD, Govt. of India.
6. Recommendations of the Group of Ministers on Dalit Affairs set up in 2005 under Shri Pranab Mukherjee's Chairmanship (2008)
7. Report of National (Venkatachaliah) Commission for Review of the Working of the Constitution (2002).

पी.एस.कृष्णन (जन्म 1932) भारतीय प्रशासनिक सेवा से सचिव के पद से सेवानिवृत हुए हैं। वे अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग (पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यकों खासकर महिलाओं तथा बच्चों) के सभी लोगों के अधिकारों, उनके उन्नयन तथा सशक्तिकरण के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस सन्दर्भ में कई संवैधानिक पहल की हैं, योजनाएँ बनाई हैं। वे सामाजिक न्याय के लिए अभी भी इस काम में संलग्न हैं। उनसे shajincbc@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद** : भरत त्रिपाठी